

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रतयावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

- 14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रश्नों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवश्यकता नहीं है।

- 15- क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत।

- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 25.06.2020

स्थान :- जगदलपुर

(मो. शाहिब) 25.06.20

भा.ष.से.

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर